भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 नवम्बर 2016

सं. यू–13019/01/2005–जीपी—इस विषय पर पूर्व की सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, राष्ट्रपति चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के लिए गृह मंत्री से सम्बद्ध सलाहकार समिति को गठित करते हैं। इस सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :—

(क) प्रशासक, या उनकी अनुपस्थिति में प्रशासक के सलाहकार, चंडीगढ़।

(ख) इस संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य, लोक सभा।

(ग) जिला परिषद के दो प्रतिनिधि।

(i) अध्यक्ष

(ii) नेता प्रतिपक्ष।

(घ) चंडीगढ़ नगर निगम के दो प्रतिनिधि।

(i) अध्यक्ष

(ii) नेता प्रतिपक्ष।

(ङ) विभिन्न हित समूहों एवं कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित सदस्य जिनमें एक महिला सदस्य और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य शामिल है।

(i) श्री सचिन के. लोहतिया, एडवोकेट, 273, सेक्टर फ्लैट, सेक्टर 46–ए, चंडीगढ़।

(ii) श्रीमती कमला शर्मा, म.नं. 207, सेक्टर 37–ए, चंडीगढ़।

(iii) श्री चन्द्र शेखर, म.नं. 1009/2, सेक्टर 45बी, चंडीगढ़।

(iv) श्री रामवीर भाट्टी, म.नं. 58, गांव राजपुर कलां, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़।

(v) श्री संजय टंडन, 1636, सेक्टर 18–डी, चंडीगढ़–160018

(vi) श्री सुरिन्दर बाहगा, एससीओ 53–55, सेक्टर 17–डी, चंडीगढ़।

2. संयुक्त सचिव (यू टी), सदस्य सचिव होंगे।

3. निम्नलिखित मामलों के संबंध में सलाहकार समिति के साथ परामर्श किया जाएगा :–

(क) स्टेट फील्ड में संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से संबंधित नीति के सामान्य मामले।

(ख) राज्य सूची के मामलों के संबंध में संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित सभी विधायी प्रस्ताव।

(ग) संघ के वार्षिक वित्तीय विवरण, जहां तक इसका संबंध संघ राज्य क्षेत्र से है, से संबंधित ऐसे मामले एवं ऐसे अन्य वित्तीय मामले जो राष्ट्रपति द्वारा इसे भेजे जाएं।

(घ) संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित विकास के सभी मुद्दे।

(ङ) कोई अन्य मामला जिस पर गृह मंत्री द्वारा यह आवश्यक अथवा वांछनीय समझा जाए कि सलाहकार समिति से परामर्श लिया जाना चाहिए।

4. पैरा (1) के खंड (ड.) में निर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों का होगा। समिति वर्ष में एक बार या अध्यक्ष/गृह मंत्री की सुविधानुसार बैठक करेगी। सलाहकार समिति के सदस्य का पद अवैतनिक होगा और इसके लिए कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं होगा।

एम.वी. विजयन
उप सचिव

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 2016

संकल्प

सं 11034/48/2014—रा.भा.(नीति)——राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के संबंध में विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या 11034/48/2014—रा.भा.(नीति) दिनांक 25.03.2015 एवं दिनांक 14.07.2016 के अनुक्रम में "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" योजना के अंतर्गत वर्ष 2016—17 से गृह पत्रिकाओं के लिए अंक तालिका में संशोधन करते हुए निम्नलिखित मद व उनके अंक तय किए गए हैं :

पत्रिकाओं से संबंधित

क I. पत्रिका की राजभाषा को बढ़ावा देने में उपयोगिता—20 अंक

II. सरकारी कामकाज में उपयोगिता—30 अंक

III. भाषा, शैली एवं प्रस्तुतीकरण—20 अंक

IV. विन्यास, साज सज्जा कागज की गुणवत्ता एवं मुद्रण स्तर—20 अंक

V. आंतरिक कार्मिकों द्वारा लेखों का अनुपात—10 अंक

VI. छपे लेखों की मौलिकता—30 अंक

2. गृह—पत्रिकाओं के पुरस्कार चयन के लिए गठित समिति में सात सदस्यों के बजाय कुल पांच सदस्य होंगे। संयुक्त सचिव(राजभाषा) — अध्यक्ष, राजभाषा विभाग से दो सदस्य एवं अन्य दो गैर—सरकारी सदस्य होंगे।

3. गृह पत्रिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए सभी कार्यालयों से पत्रिकाओं की कुल पांच प्रतियां मंगाई जाएंगी।

लेखों से संबंधित

(ख) उत्कृष्ट लेखों के लिए अंक तालिका में संशोधन करते हुए निम्नलिखित मद व उनके अंक तय किए गए हैं:

I. विषय की सरकारी कामकाज में उपयोगिता—20 अंक

II. भाषा की सरलता एवं स्पष्टता—20 अंक

III. विषय विचारों के प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता—15 अंक

IV. समसामयिक विषय—20 अंक

V. विचारों की मौलिकता—25 अंक

4. उत्कृष्ट लेखों के मूल्यांकन के लिए गठित समिति में सात सदस्यों के बजाय पांच सदस्य होंगे, जिसमें संयुक्त सचिव (राजभाषा) — अध्यक्ष, राजभाषा विभाग से दो सदस्य एवं अन्य दो गैर—सरकारी सदस्य होंगे।

5. राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य—सचिवों को दिए जाने वाले प्रमाण—पत्र को मंच पर देने के बजाय अलग से दिए जायेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों,राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

बिपिन बिहारी
संयुक्त सचिव